न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 75/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/146**
दायर दिनांक :– 01.03.2025 **निर्णय दिनांक :– 15.12.2025**

1. पर्वतसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी उदट निवासी घंटियाली जिला फलोदी
2. भवानीसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी उदट निवासी घंटियाली जिला फलोदी
3. शेखरसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी उदट निवासी घंटियाली जिला फलोदी
4. चन्दूकंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी उदट निवासी घंटियाली जिला फलोदी
5. शोभाकंवर उर्फ पपूकंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी उदट निवासी घंटियाली जिला फलोदी
6. समताकंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी उदट निवासी घंटियाली जिला फलोदी
7. जीतूकंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी उदट निवासी घंटियाली जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. पपुकंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी उदट निवासी घंटियाली जिला फलोदी
2. संतोष कंवर पुत्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी उदट निवासी घंटियाली जिला फलोदी
3. मोहनसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी उदट निवासी घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 इस आशय से पेश किया है कि वादीगण/अप्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी में पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 82/1992 है। उक्त वाद में वर्णित विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 86मी. रकबा 123–09 बीघा, खसरा नम्बर 29मी. रकबा 118–12 बीघा सरहद मौजा उदट में स्थित है। उक्त वाद का निर्णय/डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा दिनांक 03.02.1993 को कर दिया था। उक्त निर्णय/डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 324 मौजा उदट भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त निर्णय की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने उक्त निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश की जिसके मुकदमा नम्बर 455/2021 (152/2021) है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17.02.2025 को कर पूर्व निर्णय दिनांक 03.02.1993 को अपास्त कर दिया है। लेकिन आज दिन तक पूर्व निर्णय अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात है और वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में हेरफेर होने के आसार है जो

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सरासर गलत है। पूर्व निर्णय के अपास्त होने से वर्तमान राजस्व इन्द्राजात का कानून कोई महत्व नहीं रहा है। उक्त पूर्व निर्णय के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण संख्या 324 मौजा उदट से पूर्व की स्थिति कायम किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन करने पर पाया गया कि सहायक कलक्टर फलोदी का निर्णय दिनांक 03.02.1993 की पालना में मौजा उदट नामान्तरकरण संख्या 324 भरा जाकर स्वीकृत हुवा। उक्त निर्णय अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2025 के द्वारा अपास्त किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि नामान्तरकरण संख्या 324 मौजा उदट जिस निर्णय के आधार पर दर्ज हुआ है। वह निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण संख्या 324 मौजा उदट के पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति पुनः स्थापित की जानी कानूनी तौर पर आवश्यक है। न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी के राजस्व वाद संख्या 82/1992 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 03.02.201993 के अपास्त हो जाने की स्थिति में इस निर्णय की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 324 मौजा उदट के अनुसार अंकित प्रविष्टयों को यथावत रखना न्यायोचित नहीं है अपितु धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार उक्त डिक्री से पूर्व की स्थिति को पुर्नस्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि वाद संख्या 82/1992 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 03.02.1993 की पालना में भरे गये नामान्तरकरण संख्या 324 मौजा उदट को निरस्त करते हुवे राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)